

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या/511/2025 वाद

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. कन्हैयालाल पिता रतना जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
 2. गोवर्धनलाल पिता रतना जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
 3. माधवलाल पिता रतना जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
 4. जमनालाल पिता खेमा जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
 5. मेताबी पत्नी खेमा जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
 6. मन्जु पुत्री खेमा जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
 7. शम्भुलाल पुत्र खेमा जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
 8. सुनिता पुत्री खेमा जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
 9. डालू पिता हजारी जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
 10. बालु पिता हजारी जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
1. जगन्नाथ पिता उदा जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
 2. परशु पिता उदा जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
 3. भैरू पिता उदा जाति चमार आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
 4. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थिति:- अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच
अधिवक्ता श्री सैयद अश्फाक अली

—वादीगण
—प्रतिवादीगण



—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :-

निर्णय दिनांक: 26.02.2026

—:निर्णय:-

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरुनी में हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं०- 263 से दर्ज आराजी संख्या 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 कुल किता 08 कुल रकबा 2.71 हैक्ट० स्थित है जो वादीगण एवं प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी दर्ज रेकार्ड है। अतः वादी की प्रार्थना है कि बंटवाडा आराजीयात की डिकी बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण इस आशय की जारी फरमाई जावे कि वाद पत्र वर्णित आराजीयात का मौके व कब्जे अनुसार डिक्री सादीर फरमावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से अधिवक्ता श्री सैयद अश्फाक अली का अधिकार पत्र प्रस्तुत।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक), कपासन

उक्त वाद पत्र में दिनांक 05.12.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 24.09.2025 से प्रस्तुत की गई। जो शा0फा0 की गई। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की व अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादीगण अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 04.12.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा लांगच तहसील कपासन के हल्के बैरुनी मे हाल जमाबन्दी दर्ज खाता सं0- 263 से दर्ज आराजी संख्या 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 कुल किता 08 कुल रकबा 2.71 हैक्ट0 स्थित है, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 24.09.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है-

1. कन्हैयालाल (कन्हैयालाल के बजाय आराजी संख्या 325/2 में सीतादेवी पत्नी कन्हैयालाल), गोवर्धनलाल, माधवलाल पिता रतना हिस्सा 1/4, जगन्नाथ, परथु, भैरु पिता उदा हिस्सा 1/2, जमनालाल, शम्भुलाल, सुनिता, मंजु पिता खेमा, मेताबी पत्नी खेमा हिस्सा 1/16, डालचन्द, बालु पिता हजारी, नानी पत्नी हजारी हिस्सा 3/16 जाति चमार सा0 देह खातेदार रहन हिस्सा गावर्धनलाल, डालचन्द, माधवलाल का ग्रा0से0सा0सा0 शाखा लांगच

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	324/1	0.01	चाही 4
2	325/2	0.07	चाही 4
योग	कुल किता-02	0.08	

2. कन्हैयालाल (कन्हैयालाल के बजाय आराजी संख्या 325/1 व 327 में सीतादेवी पत्नी कन्हैयालाल), गोवर्धनलाल, माधवलाल पिता रतना हिस्सा 1/2, जमनालाल, शम्भुलाल, सुनिता, मंजु पिता खेमा, मेताबी पत्नी खेमा हिस्सा 1/8, डालचन्द, बालु पिता हजारी, नानी पत्नी हजारी हिस्सा 3/8 जाति चमार सा0 देह खातेदार

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	323/2	0.09	चाही 4
2	324/3	0.01	चाही 4
3	325/1	0.59	चाही 4
4	327	0.56	बारानी ए
योग	कुल किता-04	1.25	

3. जगन्नाथ हिस्सा 1/3, परथु हिस्सा 1/3, भैरु हिस्सा 1/3 पिता उदा जाति चमार सा0 देह खातेदार

क्र.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	321	0.44	चाही 4
2	322	0.44	चाही 4
3	323/1	0.35	चाही 4
4	324/2	0.02	चाही 4
योग	कुल किता-04	1.25	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 26.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलेक्टर
(फास्ट ट्रेक) कपासन